युवा छात्रावास स्कीम

युवा छात्रावास स्कीम केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। युवा छात्रावासों का निर्माण पर्यटन स्थलों या स्टडी टूर पर यात्रा करने वाले छात्रों और युवा समूहों को कम लागत पर आवास की सुविधाएं प्रदान करके देश में युवाओं के भ्रमण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य युवाओं को देश का भ्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिससे वे भारत की संस्कृति और भारत के लोगों की विविधता के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर सकें।

2. इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए युवा छात्रावासों का निर्माण बहुधा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर किया जाता है। युवा छात्रावासों के प्रबंधन के लिए छात्रावास प्रबंधन समिति (एच.एम.सी.) का गठन किया गया है। राज्यों की राजधानियों को छोड़कर जिलों में अवस्थित युवा छात्रावासों के लिए छात्रावास प्रबंधन समिति का अध्यक्ष उपायुक्त/ जिला मजिस्ट्रेट होता है। राज्यों की राजधानियों में अवस्थित युवा छात्रावासों के लिए संबंधित राज्य सरकार के युवा कार्यक्रम विभाग के सचिव एच.एम.सी. के अध्यक्ष होते हैं।

3. युवा छात्रावासों में प्रबंधकों और वार्डनों के चयन और नियुक्ति का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का है, जबकि युवा छात्रावासों के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन/ संचालन का उत्तरदायित्व छात्रावास प्रबंधन समिति का होता है। चयनित प्रबंधक की पत्नी/महिला परिजन को युवा छात्रावास के वार्डन के रूप में नियुक्त किया जाता है। इनके लिए नियुक्ति शुरू में 3 वर्ष की अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाती है जिसे 65 वर्ष की आयु तक उपयुक्तता और निष्पादन के आधार पर वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है और इसके बाद इस अवधि में कोई विस्तार नहीं किया जा सकता। वार्डन के लिए संविदा प्रबंधक के साथ को-टर्मिनस आधार पर होती है। प्रबंधक का पारिश्रमिक/मानदेय 12000/- रु प्रति माह जबकि महिला परिजन अर्थात वार्डन का पारिश्रमिक/मानदेय 6000/- रु प्रति माह होता है। प्रबंधक और वार्डन को एक साथ रहना होता है और उन्हें छात्रावास परिसर में नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें अनिवार्य रूप से छात्रावास में रहना अपेक्षित है क्योंकि उनकी 24 घंटे उपस्थिति अनिवार्य है।

4. देशभर में कुल 83 युवा छात्रावासों का निर्माण किया गया है और रोइंग (अरुणाचल प्रदेश) में एक और युवा छात्रावास का निर्माण पूरा होने के अंतिम चरण में है। 6 युवा छात्रावासों अर्थात आगरा (उत्तर प्रदेश), डलहौजी (हिमाचल प्रदेश), जोधपुर (राजस्थान), मैसूर (कर्नाटक), पणजी (गोवा) और पुडुचेरी को आईएसओ 9001-2008 प्रमाण पत्र दिया गया है।

5. प्रबंधक के पद के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

शैक्षणिक अर्हताएं- अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में प्रवीणता के साथ किसी विषय में स्नातक। होटल मैनेजमेंट/ युवा विकास/एमबीए/एलएसडब्ल्यू/एमएसडब्ल्यू डिग्रीधारक उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी।

अनुभव- हॉस्टल/ होटल उद्योग या बोर्डिंग स्कूलों/ अतिथि गृहों के संचालन के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव या सेना, नेवी, वायु सेना के मेजर/लेफ्टिनेंट कर्नल/कर्नल/समतुल्य रैंक के रक्षा बल के सेवानिवृत्त अधिकारी या युवा कार्यकलापों में काम करने का अनुभव रखने वाले केंद्र सरकार/ राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी।

तरजीह- स्थानीय उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी।

आयु सीमा- चयन के वर्ष की 1 अप्रैल को उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से 62 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं।